न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 66 / 2018
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

भूपेन्द्रसिंह	बनाम	सुखविन्द्रसिंह व अन्य
...वादी		**..प्रतिवादीगण**

दिनांक 16 अगस्त, 2018

– संशोधित आदेश –

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 152 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा **वादी श्री भूपेन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13 / 11 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 4 से 7(1.012), किला नम्बर 13(1.1265), किला नम्बर 14 से 18(1.265), किला नम्बर 23 से 25(0.759) कुल 3.1625 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल एवं **प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13 / 11 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 3(0.759), किला नम्बर 8 से 12(1.265), किला नम्बर 13(0.1265), किला नम्बर 19 से 22(1.012) कुल 3.1625 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणाधीन है जिसके ऋणमुक्ति के बिना निर्णय की कियान्विती नहीं की जा सकेगी. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को खाता संख्या 13 / 11 के मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 13(0.1265) हिस्सा दिया गया है जबकि मा. न्यायालय द्वारा वादी श्री भुपेन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को खाता संख्या 13 / 11 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 13(1.1265) हैक्टर सहवन से अंकित हुआ है जिसे संशोधित कर 0.1265 हैक्टर किया जाना आवश्यक है. मा. न्यायालय द्वारा सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 की कुल कृषि भमि 3.1625 हैक्टर मय खाल खातेदार घोषित किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भमि में खाल की भूमि नहीं है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को दी गयी कृषि भूमि के साथ मय खाल शब्द को हटाया जाना अपेक्षित है. मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रश्नगत भूमि ऋणाधीन होने के कारण ऋणमुक्ति के बिना पारित निर्णय की कियान्विती न होने की डिक्री जारी की गयी है जबकि उक्त कृषि भूमि दोनों पक्षकारों के अपने अपने हिस्सा में राजीनामा के अनुसार पूर्व में कब्जा काश्त एवं ऋणाधीन हैं इसलिये निर्णय में बिना ऋणमुक्ति के ही निर्णय की कियान्विती की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया. इस प्रकार वादी भूपेन्द्रसिंह के हिस्सा की मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13(1.1265) के स्थान पर 0.1265, प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह के हिस्सा में आयी कुल कृषि भूमि 3.1625 हैक्टर मय खाल शब्द को हटाये जाने एवं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

निर्णय की पालना बिना ऋणमुक्ति के ही करवाये जाने के संशोधित आदेश एवं संशोधित डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार वादी भुपेन्द्रसिंह के हिस्सा में चक 2 एल.एल. मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 13(0.1265) अंकित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्रसिंह के हिस्सा में मय खाल शब्द अंकित नहीं किया गया. जबकि टंकण की त्रुटि से श्री भुपेन्द्रसिंह के हिस्सा में चक 2 एल.एल. मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 13(1.1265) एवं श्री सुखविन्द्रसिंह के हिस्सा की कृषि भूमि के बाद मय खाल सहवन से टंकित किया गया है, जिसे धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार यथा संशोधित किया जाता है. किन्तु इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13 जून, 2018 के आदेश में, राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 569 के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणाधीन होने के कारण बैंक के हित को सुरक्षित रखने के उदृेश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि के ऋणाधीन है जिसके ऋणमुक्ति के बिना निर्णय की कियान्विती नहीं की जा सकेगी. सही अंकित किया गया है जिसे किसी भी प्रकार से विलोपित नहीं किया जा सकता.

अतः वादपत्र संख्या 16 / 2018 भूपेन्द्रसिंह बनाम सुखविन्द्रसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 जून, 2018 के पृष्ठ संख्या 4 के आदेश पैरा की 5वीं लाईन में नम्बर 13(0.1265) संशोधित किया जाता है एवं 10वीं लाईन का अन्तिम शब्द मय एवं 11वीं लाईन का प्रथम शब्द खाल को विलोपित किया जाता है. यथा संशोधित डिकी जारी हो.

संशोधित आदेश आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किये गये.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक),
श्रीगंगानगर

संशोधित डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

भूपेन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह, जटसिख, चक 20 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह, जटसिख, चक 20 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 66 / 2018
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री संजीवकुमार प्रतिवादी संख्या 1 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–3) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री भूपेन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13 / 11 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 4 से 7(1.012), किला नम्बर 13(0.1265), किला नम्बर 14 से 18(1.265), किला नम्बर 23 से 25(0.759) कुल 3.1625 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल एवं **प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुखविन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13 / 11 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 3(0.759), किला नम्बर 8 से 12(1.265), किला नम्बर 13(0.1265), किला नम्बर 19 से 22(1.012) कुल 3.1625 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणाधीन है जिसके ऋणमुक्ति के बिना निर्णय की कियान्विती नहीं की जा सकेगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**